

NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 25-11-2024

विषय सूची

व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) की कार्यान्वयन स्थिति

NBFCs: वित्तीय पारिस्थितिकी (Financial Ecosystem) तंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ

भारतीय समुद्री खाद्य/इंडियन सीफूड निर्यात (Indian Seafood Exports)

स्पेस जंक (Space Junk)

वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता

भारत की 6GHz स्पेक्ट्रम दुविधा

संक्षिप्त समाचार

राजा राज चोल प्रथम

कुर्रम (Kurram)

ब्रुसेल्स में भारत-EU ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक

मिन्के व्हेल (Minke whales)

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA)

लाचि बोरफुकन

प्रोबा-3 मिशन

सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री/पार्श्व प्रवेश की जांच के लिए हाउस कमेटी

व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) की कार्यान्वयन स्थिति

समाचार में

वाणिज्य विभाग के सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए नॉर्वे का दौरा किया।

TEPA के बारे में

- इस पर मार्च 2024 में भारत और चार EFTA देशों: आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
 - EFTA 92.2% टैरिफ लाइनें प्रदान करता है, जो भारत के 99.6% निर्यात को कवर करता है, 100% गैर-कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों (PAP) पर टैरिफ रियायतें प्रदान करता है।
 - भारत 82.7% टैरिफ लाइनें प्रदान करता है, जो 95.3% EFTA निर्यात को कवर करती है।

TEPA के फोकस क्षेत्र:

- **सेवा क्षेत्र:** TEPA आईटी, व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक और ऑडियो-विजुअल क्षेत्रों में भारत के सेवा निर्यात को प्रोत्साहित करेगा।
 - EFTA प्रमुख कर्मियों के लिए सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी, व्यावसायिक उपस्थिति और गतिशीलता के लिए बेहतर पहुंच प्रदान करता है।
- **विनिर्माण पर प्रभाव:** TEPA बुनियादी ढांचे, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण, रसद और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में भारत के घरेलू विनिर्माण का समर्थन करता है।
- **प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास सहयोग:** TEPA नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य विज्ञान और नवाचार जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी सहयोग तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है।

भारत के लिए अपेक्षित लाभ:

- प्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन, विशेषकर भारत के युवा कार्यबल के लिए।
- व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के अवसरों में वृद्धि।
- सटीक इंजीनियरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य विज्ञान और अनुसंधान एवं विकास में प्रौद्योगिकी सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।
- यह EFTA देशों में बाजार पहुंच के साथ 99.6% भारतीय निर्यात को बढ़ावा देगा और 100 अरब डॉलर का निवेश लाएगा।

भविष्य का दृष्टिकोण

- TEPA से यूरोपीय बाजारों में भारत के एकीकरण को बढ़ाने, वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात के लिए अवसर सृजित करने, साथ ही उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्रदान करने और भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने की संभावना है।

क्या आप जानते हैं?

- यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) आइसलैंड, लिक्टेन्स्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतरसरकारी संगठन है।
- इसकी स्थापना 1960 में इसके तत्कालीन सात सदस्य राज्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- **विशेषताएँ**



Source: TH

NBFCs: वित्तीय पारिस्थितिकी(Financial Ecosystem) तंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ

सन्दर्भ

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों (NBFCs) को विवेकपूर्ण विकास रणनीतियों को अपनाने और दीर्घकालिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय निगम (NBFCs)?

- NBFCs कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियां हैं, जो वित्तीय गतिविधियों में लगी हुई हैं जैसे;
 - ऋण और अग्रिम की पेशकश,
 - शेयर, स्टॉक, बांड, डिबेंचर, या अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों को प्राप्त करना,
 - विभिन्न प्रारूपों में जमा योजनाएं संचालित करना।
- इसमें कोई भी संस्था शामिल नहीं है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, किसी भी सामान की खरीद या बिक्री (प्रतिभूतियों के अतिरिक्त) या कोई सेवाएं प्रदान करना और अचल संपत्ति की बिक्री/खरीद/निर्माण करना है।
- NBFCs के कार्यों का प्रबंधन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक दोनों द्वारा किया जाता है।

बैंकों और NBFCs के बीच क्या अंतर है?

- NBFCs उधार देते हैं और निवेश करते हैं और इसलिए उनकी गतिविधियां बैंकों के समान हैं; हालाँकि इसमें कुछ अंतर हैं जो नीचे दिए गए हैं:
 - **मांग जमा:** NBFCs मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकता;
 - **भुगतान प्रणाली:** NBFCs भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं बनती हैं और स्वयं आहरित चेक जारी नहीं कर सकती हैं;
 - **जमा बीमा:** बैंकों के विपरीत, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा NBFCs के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है।

NBFCs का महत्व

- NBFCs भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जहां बैंकों की पहुंच सीमित है। उनका महत्व सीख देता है:
 - **वित्तीय समावेशन:** वंचित क्षेत्रों को ऋण प्रदान करके।
 - **तेज़ सेवाएँ:** सरलीकृत प्रक्रियाओं और डोरस्टेप डिलीवरी के साथ।
 - **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL):** कृषि, माइक्रोफाइनेंस और अन्य असंगठित क्षेत्रों में ऋण आवश्यकताओं को संबोधित करना।
 - **आर्थिक विकास:** वित्तपोषण के माध्यम से आवास, बुनियादी ढांचे और छोटे उद्यमों जैसे क्षेत्रों का समर्थन करना।

NBFCs के समक्ष चुनौतियाँ

- **उच्च जोखिम भार:** 2023 में, RBI ने NBFCs को ऋण के लिए जोखिम भार बढ़ा दिया, जिससे बैंक उधार लेना अधिक महंगा हो गया।
 - अप्रैल 2024 तक NBFCs को बैंक फंडिंग वर्ष-दर-वर्ष 22% से घटकर 15% हो गई।
- **वित्तपोषण की कमी:** कम क्रेडिट रेटिंग वाली छोटी NBFCs को बढ़ती उधार लागत और सीमित वित्तपोषण विकल्पों के कारण वित्त की कमी का सामना करना पड़ता है।
- **उथला बांड बाजार:** भारत के ऋण बाजार में गहराई और तरलता का अभाव है, जिससे विविध घरेलू वित्तपोषण तक पहुंच सीमित हो गई है।
- **नियामक बाधाएं:** अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (ISIN) जारी करने पर SEBI की सीमा और सक्रिय बाजार निर्माताओं की अनुपस्थिति बांड बाजार के विकास में बाधा उत्पन्न करती है।
- **लागत दबाव:** बढ़ती क्रेडिट लागत, 2024 में 2.6% से बढ़कर 2025 तक 4% होने का अनुमान है, जिससे NBFCs की लाभप्रदता प्रभावित होगी।
- **विदेशी उधार चुनौतियाँ:** कम हेजिंग लागत के कारण आकर्षक होने के बावजूद, कई NBFCs के लिए विदेशी वित्तपोषण अभी भी शुरुआती चरण में है।

आगे की राह

- **बॉन्ड बाजार को मजबूत बनाना:** एक जीवंत और तरल बॉन्ड बाजार विकसित करने से बैंक वित्तपोषण पर निर्भरता कम हो जाएगी और NBFCs को दीर्घकालिक पूंजी एकत्रित करने में सहायता मिलेगी।
- **सह-उधार मॉडल:** बैंकों और NBFCs के बीच सह-उधार व्यवस्था को प्रोत्साहित करने से उधार लेने की लागत कम हो सकती है और बेहतर ऋण वितरण सुनिश्चित हो सकता है।
- **अनुपालन पर ध्यान दें:** NBFCs को विश्वसनीयता बनाने के लिए जोखिम शमन और शिकायत निवारण पर RBI के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।
- **विविध वित्तपोषण स्रोत:** घरेलू और विदेशी वित्तपोषण विकल्पों को संतुलित करते हुए प्रतिभूतिकरण, वाणिज्यिक पत्र और इक्विटी बाजारों की खोज करना।

निष्कर्ष

- NBFCs भारत की वित्तीय प्रणाली की आधारशिला बनी हुई हैं, विशेष रूप से वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए।
- हालाँकि, उनकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वित्तपोषण चुनौतियों, नियामक दबावों और बाजार की अक्षमताओं को संबोधित किया जाना चाहिए।

Source: TH

भारतीय समुद्री खाद्य/इंडियन सीफूड निर्यात (Indian Seafood Exports)

सन्दर्भ

- ब्रुसेल्स में भारतीय दूतावास ने भारत की बेहतरीन पाक पेशकशों को प्रदर्शित करते हुए इंडियन सीफूड और वाइन टेस्टिंग इवेंट के दूसरे संस्करण की मेजबानी की।

भारत का समुद्री खाद्य उद्योग

- भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली और जलीय कृषि उत्पादक देश है और यह उद्योग भारत में 28 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है।
 - यह कुल वैश्विक मछली उत्पादन का 7.96% है।
- भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रुपये से बढ़ गया है। 2019-20 में 46,662.85 करोड़ रु. 2023-24 में 30.81% की वृद्धि दर्ज करते हुए 61043.68 करोड़।
- भारत मुख्य रूप से जमे हुए झींगा, मछली, कटलफिश, स्क्रिड, सूखी वस्तुएं, और जीवित एवं ठंडी वस्तुएं निर्यात करता है।
 - जमे हुए झींगा सबसे बड़ा निर्यातित समुद्री उत्पाद है जो कुल मात्रा का 40% से अधिक और कुल निर्यात मूल्य का लगभग 67.22% योगदान देता है।

प्रमुख निर्यात बाजार

- संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ (EU) भारतीय समुद्री खाद्य के सबसे बड़े आयातक हैं।

- 500 EU-अनुमोदित फर्मों के साथ, EU 0.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वार्षिक खरीद के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री भोजन बाजार बन गया है।
- जापान, वियतनाम और मध्य पूर्व जैसे उभरते बाजार गति पकड़ रहे हैं।

सरकारी पहल

- **समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA):** यह प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजार विकास और गुणवत्ता प्रमाणन की सुविधा प्रदान करता है।
- **RoDTEP:** सरकार ने विभिन्न समुद्री भोजन उत्पादों के लिए निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) को 2.5% से बढ़ाकर 3.1% कर दिया है।
- **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY):** इसे वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए लागू किया गया था।
 - बजट 2024-25 में घोषित झींगा और झींगा फ़ीड/मछली फ़ीड के निर्माण के लिए विभिन्न सामग्रियों/इनपुट पर आयात शुल्क में कटौती से भारतीय समुद्री भोजन-आधारित मूल्यवर्धित उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे।
- **मत्स्य पालन और एकाकलचर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF):** इसे मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक निधि बनाने के लिए लागू किया गया था।
 - किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना को 2018-19 में मत्स्य पालन और पशुपालन किसानों के लिए विस्तारित किया गया ताकि उन्हें उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिल सके।

भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- **कठोर नियामक मानदंड:** यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित प्रमुख बाजार कठोर गुणवत्ता जांच लागू करते हैं, जिससे बार-बार अस्वीकृतियां होती हैं।
- **प्रौद्योगिकी अपनाना:** सतत जलीय कृषि के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रथाओं तक सीमित पहुंच।
- **जलवायु परिवर्तन:** समुद्र के तापमान में वृद्धि, समुद्र का अम्लीकरण, और बदलते मौसम के पैटर्न से मछली के आवास एवं प्रजनन प्रभावित हो रहे हैं।
- **प्रदूषण:** औद्योगिक, कृषि और प्लास्टिक कचरे से जल प्रदूषण जलीय जीवन तथा पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुँचाता है।
- **बुनियादी ढाँचा:** अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण सुविधाएं और परिवहन मछली की गुणवत्ता और बाजार पहुंच को प्रभावित कर रहे हैं।

आगे की राह

- **बाजार विविधीकरण:** पारंपरिक बाजारों पर निर्भरता कम करने के लिए अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और आसियान देशों में निर्यात का विस्तार करना।
- **अनुसंधान एवं विकास और नवाचार:** प्रजातियों के विविधीकरण, रोग प्रबंधन और जलवायु-लचीला जलीय कृषि प्रथाओं में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

- **स्थिरता:** संसाधनों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण-अनुकूल मछली पकड़ने और जलीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

- भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात में आर्थिक विकास को गति देने और सतत विकास को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं।
- गुणवत्ता वृद्धि, बाजार विविधीकरण और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में रणनीतिक हस्तक्षेप भारत को समुद्री भोजन निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर सकता है।

Source: PIB

स्पेस जंक(Space Junk)

सन्दर्भ

- जैसे-जैसे उपग्रहों की संख्या बढ़ती जा रही है, स्पेस जंक को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।

परिचय

- 10,000 से अधिक सक्रिय उपग्रह ग्रह के चारों ओर कक्षा में हैं। अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या 100,000 से अधिक हो जाएगी।
- जैसे-जैसे उपग्रहों की संख्या बढ़ेगी, जैसे-वैसे अंतरिक्ष में प्रदूषण भी बढ़ेगा।

अंतरिक्ष मलबा

- पृथ्वी पर गिरने वाली अंतरिक्ष वस्तुओं के जंक में रॉकेट के अपेक्षाकृत छोटे टुकड़े शामिल होते हैं जो वायुमंडल के घर्षण से बचे रहते हैं।
- स्पेस जंक का आकार अलग-अलग हो सकता है, पेंट चिप्स जैसे छोटे टुकड़ों से लेकर पुराने उपग्रहों या रॉकेट चरणों जैसे बड़े टुकड़ों तक।
- हाल के दिनों में 2021 में 25 टन के चीनी रॉकेट का एक बड़ा हिस्सा हिंद महासागर में गिरा था।

स्पेस जंक निम्नलिखित कारणों के कारण होता है:

- **निष्क्रिय उपग्रह:** जो उपग्रह अब कार्य नहीं करते उन्हें कक्षा में छोड़ दिया जाता है, जो जंक में योगदान देता है।
- **रॉकेट चरण:** खर्च किए गए रॉकेट चरण और अन्य प्रक्षेपण यान के हिस्से जिन्हें उपयोग के बाद छोड़ दिया जाता है वे कक्षा में बने रहते हैं।
- **टकराव:** कक्षा में वस्तुएँ प्रायः तेज़ गति से टकराती हैं, जिससे छोटे जंक के टुकड़े बनते हैं जो अंतरिक्ष में समग्र जंक को बढ़ाते हैं।
- **अंतरिक्ष यान और मिशन का जंक:** मिशन के दौरान छोड़े गए अंतरिक्ष यान या उपकरण के हिस्से (जैसे, स्कू, पेंट के टुकड़े) जंक के क्षेत्र में योगदान करते हैं।

चिंताएँ

- **टकराव के जोखिम:** उच्च गति वाले जंक के टकराव से अधिक टुकड़े बन सकते हैं, जिससे एक स्व-स्थायी चक्र बन सकता है जो उपग्रहों, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष पर्यावरण को खतरे में डालता है।

- **परिचालन उपग्रहों को खतरा:** मलबा सक्रिय उपग्रहों को नुकसान पहुंचा सकता है या नष्ट कर सकता है, जिससे संचार, मौसम और नेविगेशन प्रणालियों के लिए खतरा बढ़ जाता है।
- **वायुमंडलीय प्रदूषण:** पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने वाला बड़ा मलबा जल सकता है या महासागरों में गिर सकता है, जिससे संभावित रूप से जहरीले पदार्थ निकल सकते हैं।
- **अंतरिक्ष पहुंच:** बढ़ता हुआ मलबा क्षेत्र पृथ्वी के कक्षीय स्थान के सुरक्षित उपयोग को सीमित कर देता है, जिससे भविष्य के मिशन अधिक कठिन और महंगे हो जाते हैं।
- **दीर्घकालिक स्थिरता:** मलबे का संचय भावी पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिससे स्थान कम सुलभ हो जाएगा।

अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाली क्षति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर कन्वेंशन

- यह सम्मेलन कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों में से एक है जो बाह्य अंतरिक्ष संधि का पूरक है, जो अंतरिक्ष में देशों के व्यवहार का मार्गदर्शन करने वाली व्यापक रूपरेखा है।
- दायित्व कन्वेंशन 1972 में लागू हुआ और मुख्य रूप से अंतरिक्ष वस्तुओं से अन्य अंतरिक्ष संपत्तियों को होने वाले नुकसान से संबंधित है, लेकिन यह पृथ्वी पर वस्तुओं के गिरने से होने वाले नुकसान पर भी लागू होता है।
- कन्वेंशन प्रक्षेपण करने वाले देश को पृथ्वी पर उसकी अंतरिक्ष वस्तु या हवा में उड़ान के कारण होने वाली किसी भी क्षति के लिए मुआवजा देने के लिए "पूरी तरह से जिम्मेदार" बनाता है।
 - जिस देश में जंक गिरता है, वह उस वस्तु के गिरने से क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजे के लिए दावा कर सकता है।
 - मुआवजे की राशि "अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय और समानता के सिद्धांतों के अनुसार" तय की जानी है।
- कन्वेंशन के इस प्रावधान के परिणामस्वरूप अब तक केवल एक बार मुआवजा भुगतान हुआ है - जब कनाडा ने रेडियोधर्मी पदार्थ वाले एक उपग्रह के लिए तत्कालीन सोवियत संघ से हर्जाना मांगा था, जो 1978 में उसके उत्तरी क्षेत्र में एक निर्जन क्षेत्र में गिर गया था।

सुझाव

- **सक्रिय मलबा हटाना (ADR):** यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा क्लियरस्पेस-1 मिशन जैसे कक्षा से बड़े मलबे को पकड़ने और हटाने के लिए डिज़ाइन किए गए रोबोटिक सिस्टम या अंतरिक्ष यान को विकसित एवं तैनात करना।
- **उन्नत उपग्रह डिज़ाइन:** हल्के पदार्थों का उपयोग करें और ऐसे उपग्रह बनाएं जो टकराव या विफलता के दौरान मलबे के उत्पादन को कम करें।
- **ट्रैकिंग और निगरानी में वृद्धि:** मलबे की निगरानी करने और टकराव से बचने के लिए बेहतर ट्रैकिंग सिस्टम के साथ स्थानिक स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाएं।
- **टकराव से बचाव:** आकस्मिक प्रभावों से मलबे के उत्पादन को रोकने के लिए परिचालन उपग्रहों और अंतरिक्ष स्टेशनों के लिए टकराव-बचाव युद्धाभ्यास लागू करें।

Source: IE

वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता

सन्दर्भ

- समुद्री प्रदूषण सहित प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक नई कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि पर वार्तालाप करने के लिए 170 से अधिक देश कोरिया गणराज्य में एकत्रित होंगे।

परिचय

- पृष्ठभूमि:** वैश्विक प्लास्टिक संकट पर परिचर्चा के लिए 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा नैरोबी में आहूत की गई।
 - 175 देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण के लिए एक वैश्विक संधि को अपनाने के लिए मतदान किया - एक त्वरित समयसीमा पर सहमति व्यक्त की ताकि संधि को 2025 तक जल्द से जल्द लागू किया जा सके।
- वार्तालाप इस विषय पर है कि क्या रसायनों के कुछ वर्गों और प्लास्टिक उत्पादन पर बाध्यकारी सीमा पर सहमति व्यक्त की जाए, या कचरा संग्रहण और रीसाइक्लिंग में सुधार लाने के उद्देश्य से वित्तपोषण के पैकेज पर समझौता किया जाए।
 - सऊदी अरब, ईरान, रूस, कजाकिस्तान, मिस्र, कुवैत, मलेशिया एवं भारत ने सख्त शासनादेशों के प्रति प्रतिरोध व्यक्त किया है और इसके बजाय नवीन अपशिष्ट प्रबंधन तथा सतत प्लास्टिक उपयोग जैसे उपायों का प्रस्ताव दिया है।
 - दूसरी ओर, रवांडा, पेरू और यूरोपीय संघ ने प्लास्टिक प्रदूषण पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तावित किए हैं।

संधि की आवश्यकता

- हाल के दशकों में विश्व भर में प्लास्टिक का उत्पादन आसमान छू गया है।
 - प्लास्टिक का वार्षिक वैश्विक उत्पादन 2000 में 234 मिलियन टन (mt) से दोगुना होकर 2019 में 460 mt हो गया।
 - इसका लगभग आधा उत्पादन एशिया में हुआ, इसके बाद उत्तरी अमेरिका (19%) और यूरोप (15%) का स्थान रहा।
 - आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के अनुसार, 2040 तक प्लास्टिक उत्पादन 700 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है।
- धीमी गति से अपघटन:** द लांसेट के 2023 के एक अध्ययन के अनुसार, प्लास्टिक को विघटित होने में 20 से 500 वर्ष तक का समय लगता है, और अब तक 10% से भी कम का पुनर्चक्रण किया गया है।
- पर्यावरणीय प्रभाव:** अधिकांश प्लास्टिक कचरा पर्यावरण में लीक हो जाता है, विशेषकर नदियों और महासागरों में, जहाँ यह छोटे कणों (माइक्रोप्लास्टिक या नैनोप्लास्टिक) में विखंडित हो जाता है।
 - इससे पर्यावरण और जीव-जंतुओं के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।
- मनुष्यों पर प्रभाव:** प्लास्टिक में रसायनों के संपर्क से अंतःस्त्रावी व्यवधान एवं कैंसर, मधुमेह, प्रजनन संबंधी विकार और न्यूरोडेवलपमेंटल हानि सहित कई मानव रोग हो सकते हैं।


- **जलवायु प्रभाव:** 2020 में, इसने वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन का 3.6% उत्पन्न किया, जिसमें से 90% मात्रात्मक उत्सर्जन प्लास्टिक उत्पादन से आया, जो कच्चे माल के रूप में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करता है।

भारत की स्थिति

- भारत पॉलिमर के उत्पादन पर किसी भी प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता है।
 - कोई भी प्रतिबंध 2022 में नैरोबी में अपनाए गए UNEA के प्रस्ताव के अधिदेश से परे है।
 - संकल्प में राष्ट्रीय परिस्थितियों और विकासशील देशों को उनके विकास पथ का अनुसरण करने की अनुमति देने की क्षमता का सिद्धांत भी शामिल है।
- भारत ने किसी भी अंतिम संधि के मूल प्रावधानों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को शामिल करने की भी मांग की है।
- प्लास्टिक उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले हानिकारक रसायनों के बहिष्कार पर, भारत ने कहा है कि कोई भी निर्णय वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होना चाहिए, और ऐसे रसायनों का विनियमन घरेलू स्तर पर किया जाना चाहिए।
- अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ पर्याप्त, समय पर और पूर्वानुमानित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का भी आकलन होना चाहिए।

प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक्स क्या है?

- प्लास्टिक शब्द ग्रीक शब्द प्लास्टिकोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है "आकार देने या ढालने में सक्षम।"
- प्लास्टिक सिंथेटिक या अर्ध-सिंथेटिक सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है जो मुख्य घटक के रूप में पॉलिमर का उपयोग करते हैं, उनकी परिभाषित गुणवत्ता उनकी प्लास्टिसिटी है - लागू बलों के जवाब में स्थायी विरूपण से गुजरने के लिए एक ठोस सामग्री की क्षमता।
- यह उन्हें अत्यधिक अनुकूलनीय बनाता है, आवश्यकता के अनुसार आकार देने में सक्षम बनाता है।
- प्लास्टिक के मूल निर्माण खंड मोनोमर्स हैं, जो छोटे अणु होते हैं जो पॉलिमराइजेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से पॉलिमर नामक लंबी श्रृंखला बनाने के लिए एक साथ जुड़ सकते हैं।
- माइक्रोप्लास्टिक्स: प्लास्टिक अपनी छोटी इकाइयों में टूट जाता है जिसे माइक्रोप्लास्टिक्स कहा जाता है - आधिकारिक तौर पर पांच मिलीमीटर से कम व्यास वाले प्लास्टिक के रूप में परिभाषित किया गया है।
 - ये माइक्रोप्लास्टिक प्रशांत महासागर की गहराई से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों तक पूरे ग्रह में अपना रास्ता खोज लेते हैं।
 - नवीनतम वैश्विक अनुमानों के अनुसार, खाद्य श्रृंखला, पेयजल और वायु के दूषित होने के कारण एक औसत मानव वार्षिक कम से कम 50,000 माइक्रोप्लास्टिक कणों का उपभोग करता है।



भारत द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट

- भारत वर्तमान में विश्व में प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, और प्रत्येक वर्ष 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट छोड़ता है जो प्लास्टिक अपशिष्ट के वैश्विक उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत है।

प्लास्टिक अपशिष्ट से निपटने में भारत के प्रयास

- **एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध:** भारत ने कई राज्यों में बैग, कप, प्लेट, कटलरी और स्ट्रॉ जैसे एकल-उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन, उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- **विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (EPR):** भारत सरकार ने EPR लागू किया है, जिससे प्लास्टिक निर्माताओं को अपने उत्पादों से उत्पन्न कचरे के प्रबंधन और निपटान के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम:** भारत ने 2016 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम पेश किए, जो रीसाइक्लिंग और अपशिष्ट-से-ऊर्जा पहल सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022:** EPR (विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी) पर दिशानिर्देश पहचाने गए एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के निषेध के साथ जुड़े हुए हैं।
 - इसने पचहत्तर माइक्रोमीटर से कम के वर्जिन या पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बने कैरी बैग के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।

- **भारत का प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024:** यह बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को न केवल विशिष्ट वातावरण में जैविक प्रक्रियाओं द्वारा नष्ट होने में सक्षम के रूप में परिभाषित करता है, बल्कि ऐसी सामग्री के रूप में भी परिभाषित करता है जो कोई माइक्रोप्लास्टिक नहीं छोड़ता है।
 - नियम निर्दिष्ट करते हैं कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक के बर्तनों के निर्माता उन्हें बायोडिग्रेडेबल के रूप में तभी लेबल कर सकते हैं जब वे कोई माइक्रोप्लास्टिक पीछे नहीं छोड़ते हैं।
- **स्वच्छ भारत अभियान:** भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, जो एक राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान है, जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रह और निपटान शामिल है।
- **प्लास्टिक पार्क:** सरकार ने प्लास्टिक पार्क स्थापित किए हैं, जो प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्र हैं।
- **समुद्र तट सफाई अभियान:** भारत सरकार और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों ने समुद्र तटों से प्लास्टिक अपशिष्ट को एकत्रित करने और निपटाने के लिए समुद्र तट सफाई अभियान का आयोजन किया है।
- भारत MARPOL (समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन) का एक हस्ताक्षरकर्ता है।
- **"इंडिया प्लास्टिक चैलेंज - हैकथॉन 2021"**
 - यह एक अद्वितीय प्रतियोगिता है जो स्टार्ट-अप/उद्यमियों और उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) के छात्रों को प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और एकल-उपयोग प्लास्टिक के विकल्प विकसित करने के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करती है।

Source: IE

भारत की 6GHz स्पेक्ट्रम दुविधा

सन्दर्भ


- भारत वर्तमान में 6GHz स्पेक्ट्रम बैंड के आवंटन और उपयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना रहा है, जिसका देश की तकनीकी उन्नति, आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

स्पेक्ट्रम प्रबंधन

- स्पेक्ट्रम एक सीमित संसाधन है जो वायरलेस संचार के लिए आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस संसाधन का कुशलतापूर्वक और न्यायसंगत उपयोग किया जाए, प्रभावी स्पेक्ट्रम प्रबंधन महत्वपूर्ण है।
- भारत में, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) और दूरसंचार विभाग (DoT) स्पेक्ट्रम आवंटन एवं विनियमन के लिए जिम्मेदार हैं।

स्पेक्ट्रम

- यह उन अदृश्य रेडियो फ्रीक्वेंसी को संदर्भित करता है जिन पर वायरलेस सिग्नल यात्रा करते हैं। ये विद्युतचुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाने वाले का केवल एक भाग हैं।
- इन्हें उनकी तरंग दैर्ध्य के आधार पर 'बैंड' में समूहीकृत किया जाता है, जिस दूरी पर तरंग का



प्रमुख स्पेक्ट्रम बैंड

- 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज:** ये बैंड भारत और विश्व भर में WiFi और अन्य वायरलेस संचार प्रौद्योगिकियों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।
 - 2.4GHz में सीमित डेटा बैंडविड्थ है, लेकिन कवरेज के साथ इसका क्षेत्र बड़ा है।
 - 5GHz काफ़ी तेज़ है, लेकिन कम दूरी तय करता है।
- WiFi तकनीक की यह स्थिति WiFi 6 की शुरुआत के बाद भी वैसी ही बनी रही, जो अधिक दक्षता के साथ 2.4GHz और 5GHz दोनों आवृत्तियों का एक साथ उपयोग करता है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर गति होती है।
- 6 गीगाहर्ट्ज (WiFi 6E):** यह सैद्धांतिक अधिकतम गति को 9.6Gbps तक बढ़ाता है।
 - यह 5,925 मेगाहर्ट्ज और 7,125 मेगाहर्ट्ज के बीच स्पेक्ट्रम के बैंड पर निर्भर था, जिसे 6GHz स्पेक्ट्रम के रूप में जाना जाता है।
- वैश्विक स्तर पर, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ताइवान, संयुक्त अरब अमीरात, यू.के. और यू.एस. सहित कई देशों में, 6GHz स्पेक्ट्रम को WiFi उपयोग के लिए डी-लाइसेंस दे दिया गया है, जिससे WiFi क्षमताओं में वृद्धि और तेज़ इंटरनेट स्पीड की अनुमति मिलती है।
- भारत और चीन ने अभी तक WiFi के लिए इस स्पेक्ट्रम के उपयोग को मंजूरी नहीं दी है, जिससे नियामक गतिरोध उत्पन्न हो गया है।

भारत में वर्तमान स्थिति

- भारत में, 6GHz बैंड वर्तमान में उपग्रह संचार के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को आवंटित किया गया है।
 - इस आवंटन ने वाईफाई और 5G सेवाओं के लिए इस स्पेक्ट्रम का लाभ उठाने के इच्छुक दूरसंचार ऑपरेटर्स और प्रौद्योगिकी फर्मों के लिए एक बाधा उत्पन्न कर दी है।
- सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने और 5G नेटवर्क की लागत-कुशल तैनाती सुनिश्चित करने के लिए इस स्पेक्ट्रम के महत्व पर बल दिया है।

- विश्व रेडियोसंचार सम्मेलन ने देशों के लिए 6GHz स्पेक्ट्रम के उपयोग पर निर्णय लेने की समय सीमा 2027 तक बढ़ा दी है।

6GHz स्पेक्ट्रम पर परिचर्चा

- **टेलीकॉम ऑपरेटर बनाम प्रौद्योगिकी फर्म:** टेलीकॉम ऑपरेटरों का तर्क है कि 6GHz बैंड 5G सेवाओं के विस्तार और भविष्य की डेटा मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक है।
 - दूसरी ओर, प्रौद्योगिकी कंपनियां कनेक्टेड डिवाइसों की बढ़ती संख्या और हाई-स्पीड इंटरनेट आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए WiFi में इसके उपयोग का समर्थन करती हैं।
- **आर्थिक निहितार्थ:** बिना लाइसेंस के उपयोग के लिए 6GHz बैंड आवंटित करने से 5G परिनियोजन से जुड़ी लागत में काफी कमी आ सकती है।
 - हालाँकि, उपग्रह संचार के लिए इसे बनाए रखने से तकनीकी नवाचार और आर्थिक विकास की संभावना सीमित हो सकती है।
- **वैश्विक मानक और प्रतिस्पर्धात्मकता:** यू.एस., यू.के. और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों ने पहले ही बिना लाइसेंस के उपयोग के लिए 6GHz बैंड को हटाने की नीतियां अपना ली हैं।
 - निर्णय लेने में भारत की देरी से उसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और तकनीकी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

संभावित समाधान

- **आंशिक डीलिटिंग:** 6GHz बैंड के एक हिस्से को बिना लाइसेंस के उपयोग के लिए अनुमति देना, जबकि कुछ को उपग्रह संचार के लिए बनाए रखना।
- **चरणबद्ध कार्यान्वयन:** बिना लाइसेंस के उपयोग के लिए 6GHz बैंड को धीरे-धीरे परिवर्तित करना, हितधारकों को अनुकूलन के लिए समय प्रदान करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** भारत की नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने के लिए वैश्विक नियामक निकायों के साथ जुड़ना।

निष्कर्ष

- 6GHz स्पेक्ट्रम पर भारत के निर्णय का उसके तकनीकी परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।
- नवाचार, आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों, प्रौद्योगिकी फर्मों एवं उपग्रह संचार की आवश्यकताओं के बीच सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।

Source: TH

समाचार में तथ्य

राजा राज चोल प्रथम

सन्दर्भ

- प्रसिद्ध चोल सम्राट राजा राज चोल प्रथम की जयंती प्रत्येक वर्ष तमिलनाडु के तंजावुर में साधय विज्ञा के दौरान अद्वितीय उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जाती है।

परिचय: राजा राज चोल प्रथम

- **जन्म:** 947 ई. में अरुलमोझी वर्मन के रूप में जन्मे, वह इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और दूरदर्शी शासकों में से एक बन गए।
 - राजा राज को उलाकालैंड पेरुमल (महान व्यक्ति जिन्होंने पृथ्वी को त्रिविक्रम की तरह मापा था) और शिव के रूप में माना जाता है जिन्होंने भार्गव राम की भूमि पर नियंत्रण स्थापित किया था।
- **शासनकाल:** राजा राज का शासनकाल, 985 से 1014 ईस्वी तक, पूरे दक्षिणी भारत, सीलोन के कुछ हिस्से और मालदीव एवं लाकाडिव द्वीपसमूह को कवर करता था।
 - चोलों ने श्रीलंका (राजराज प्रथम के समय) और श्रीविजय (राजेंद्र प्रथम के समय) पर सैन्य अभियान चलाया।
- **उपाधियाँ:** उन्होंने स्वयं को जयनगोंडा, पांड्य-कुलसानी, सिंगलांतका, कोलामार्टडा और तेलिंगकुलकला जैसी उच्च-ध्वनि वाली उपाधियों से अलंकृत किया।
- **पाषाण अभिलेख:** उन्होंने अपने शासनकाल की प्रमुख घटनाओं के एक निर्धारित विवरण के साथ पाषाण अभिलेख (आधिकारिक प्रशस्ति) प्रस्तुत करना शुरू किया।
 - श्री ब्रह्देश्वर मंदिर (बड़ा मंदिर) जिसे राजराजेश्वरम भी कहा जाता है, उनके शासनकाल के दौरान बनाया गया था, और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है जिसे ग्रेट लिविंग चोल मंदिर के रूप में जाना जाता है।

क्या आप जानते हैं?

- सध्या विज्ञा एक त्योहार है जो सामान्यतः महान चोल राजा, राजा राज चोलन की जयंती मनाने के लिए तमिल महीने अइप्पासी (मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर) में मनाया जाता है।
- ब्रह्देश्वर मंदिर प्रत्येक वर्ष इस उत्सव का आयोजन करता है।

Source: TH

कुर्रम (Kurram)

सन्दर्भ

- पाकिस्तान के कुर्रम जिले में शिया बनाम सुन्नी संप्रदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा में वृद्धि देखी जा रही है।

कुर्रम के बारे में

- यह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित एक जिला है।

- कुर्रम अफ़गानिस्तान के लोगर और नंगरहार प्रांतों से सटा हुआ है।
- इसके रणनीतिक स्थान में डुरंड रेखा के साथ सीमा पार करना शामिल है, जिसमें ऐतिहासिक पेइवार कोटाल दर्रा भी शामिल है, जो काबुल के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है।

डूरंड रेखा

- यह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है।
- ज़ारिस्ट रूस से ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा के लिए सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड द्वारा डूरंड रेखा तैयार की गई थी।



Source: IE

ब्रुसेल्स में भारत-EU ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक

समाचार में

भारत-यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई

भारत-यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल बैठक के बारे में

- इसने ऊर्जा परिवर्तन प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया और भारत-EU स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी (2021-2024) के दूसरे चरण की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें नौ क्षेत्रों में 51 संयुक्त पहल शामिल थीं।
- मुख्य परिणामों में हरित हाइड्रोजन पर सहयोग के लिए एक रूपरेखा का विकास शामिल है, जिसमें भारत और यूरोपीय संघ दोनों हरित हाइड्रोजन नीतियों पर सहयोग कर रहे हैं।
- भारत ने यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह 2024 में एक विशेष भागीदार के रूप में भाग लिया, जबकि यूरोपीय संघ और सदस्य देश भारत में ग्रीन हाइड्रोजन 2024 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए।
- इसके अतिरिक्त, दोनों पक्षों ने भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के स्वच्छ एवं हरित प्रौद्योगिकियों पर कार्य समूह के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा में दीर्घकालिक अनुसंधान सहयोग के लिए प्रतिबद्धता जताई।

Source :Air

मिन्के व्हेल (Minke whales)

समाचार में

वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रत्यक्ष तौर पर मिन्क व्हेल की श्रवण सीमा को मापा है, जिससे पता चला है कि वे 90 किलोहर्ट्ज़ (kHz) तक की उच्च-आवृत्ति ध्वनियों का पता लगा सकते हैं, जो पहले की तुलना में बहुत अधिक है।

मिन्के व्हेल के बारे में

- इस खोज से पता चलता है कि ग्रह के सबसे बड़े स्तनधारी, बेलीन व्हेल, मानवजनित समुद्री शोर से पहले की तुलना में अधिक प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी सुनने की संवेदनशीलता को कम करके आंका गया है।

मिन्के व्हेल

- मिन्के व्हेल सबसे छोटी बेलीन व्हेल हैं और रोरकल परिवार की सदस्य हैं।
- वे प्रचुर मात्रा में हैं और विश्व भर में उनकी एक स्थिर जनसँख्या है, हालांकि वाणिज्यिक व्हेलिंग ने कुछ जनसँख्या को प्रभावित किया है।
- मिन्के व्हेल को अपना नाम नॉर्वेजियन व्हेलिंग स्पॉटर, मीन्के से मिला, जिसने गलती से उन्हें ब्लू व्हेल के रूप में पहचान लिया।
- **आकार :** छोटे, चिकने शरीर: 35 फीट तक लंबे और 20,000 पाउंड।
 - काले, गहरे भूरे/भूरे रंग के साथ एक हल्का शेवरॉन और नीचे सफेद।
- **व्यवहार और आहार:** मिन्के व्हेल प्रायः अकेले या छोटे समूहों में देखी जाती हैं; चारागाहों में बड़े समूह हो सकते हैं।
 - वे प्लवक, छोटी मछलियों और क्रस्टेशियंस पर भोजन करते हैं।
 - मिन्के व्हेल 50 वर्ष तक जीवित रह सकती हैं।
- **आवास और वितरण:** विश्व भर में ध्रुवीय, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जल में पाया जाता है।
 - मिन्के व्हेल मौसम के अनुसार प्रवास करती हैं, गर्मियों में ठंडे क्षेत्रों और सर्दियों में गर्म पानी की ओर चली जाती हैं।
- **खतरे:** ऐतिहासिक रूप से शोषण किया गया, विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में। वर्तमान में ग्रीनलैंड, जापान और नॉर्वे जैसे देशों द्वारा अभी भी इसका शिकार किया जाता है।
 - फिशिंग गियर का उलझाव
 - महासागरीय शोर
 - जहाज़ पर हमला
 - जलवायु परिवर्तन
- **IUCN स्थिति :**

Antarctic Minke Whale <i>Balaenoptera bonaerensis</i> Global	<NT>
Common Minke Whale <i>Balaenoptera acutorostrata</i> Global	<LC>
Common Minke Whale <i>Balaenoptera acutorostrata</i> Europe	<LC>

Source: TH

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन(ICA)

सन्दर्भ

- पीएम मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA)

- इतिहास:** इसकी स्थापना 1895 में पहली सहकारी कांग्रेस के दौरान लंदन, इंग्लैंड में हुई थी।
 - अर्जेटीना, भारत, अमेरिका और अन्य देशों के प्रतिनिधि सहकारी सिद्धांतों को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने पर सहमत हुए।
 - ICA सहकारी सिद्धांतों की सुरक्षा करते हुए सहयोग करने, विचारों का आदान-प्रदान करने और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों को एक मंच प्रदान करता है।
- सदस्यता:** यह कृषि, बैंकिंग, स्वास्थ्य और आवास सहित विभिन्न क्षेत्रों में 3 मिलियन सहकारी समितियों के माध्यम से 1 अरब से अधिक सहकारी सदस्यों को एकजुट करता है। 105 देशों में 306 सदस्य संगठनों के साथ, ICA सहकारी समितियों के लिए अग्रणी आवाज के रूप में कार्य करता है, उनके हितों का समर्थन करता है और वैश्विक सहयोग एवं ज्ञान विनिमय की सुविधा प्रदान करता है।
- विस्तार:** 1960 में दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय और शिक्षा केंद्र की स्थापना के साथ ICA का एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विस्तार हुआ, जिसका लक्ष्य विकासशील देशों को वैश्विक सहकारी नेटवर्क से जोड़ना था।

वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024

- यह एक ऐतिहासिक घटना है क्योंकि भारत पहली बार ICA महासभा की मेजबानी कर रहा है।
- यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के आधिकारिक शुभारंभ का भी प्रतीक होगा।
- थीम: "सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है।"

सहकारिता क्या है?

- सहकारी समितियाँ जन-केंद्रित उद्यम हैं जिनका स्वामित्व और लोकतांत्रिक तरीके से उनके सदस्यों द्वारा उनकी सामान्य आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नियंत्रण किया जाता है।
- वे 'एक सदस्य, एक वोट' नियम के अनुसार चलाए जाते हैं, जिससे लोगों को स्थायी उद्यम बनाने की अनुमति मिलती है जो दीर्घकालिक रोजगार और समृद्धि सृजित करते हैं।

Source: PIB

लाचित बोरफुकन

सन्दर्भ

- केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महान अहोम सैन्य कमांडर लाचित बोरफुकन को उनकी 402वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

परिचय: लाचित बोरफुकन

- 24 नवंबर 1622 को असम के चराइदेव में जन्मे, उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की कला में महारत हासिल की।
- उन्हें सरायघाट की लड़ाई (1671) में उनके अनुकरणीय नेतृत्व के लिए जाना जाता है, जहां अहोमों ने औरंगजेब के अधीन राजा रामसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना को हराया था।
- यह लड़ाई सरायघाट के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ी गई थी और यह मुगलों द्वारा असम में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का आखिरी बड़ा प्रयास था।
- 25 अप्रैल 1672 को 49 वर्ष की आयु में असम के जोरहाट में उनकी मृत्यु हो गई।
- वह अपनी महान नौसैनिक रणनीतियों के कारण भारत की नौसेना को मजबूत करने और अंतर्देशीय जल परिवहन को पुनर्जीवित करने तथा इससे जुड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण के पीछे प्रेरणा थे।

पुरस्कार और सम्मान

- 1999 से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित बोरफुकन स्वर्ण पदक दिया जाता रहा है।
- प्रत्येक वर्ष 24 नवंबर को, लाचित बोरफुकन की वीरता और सरायघाट की लड़ाई में असमिया सेना की जीत की याद में असम में पूरे राज्य में लाचित दिवस (लाचित दिवस) मनाया जाता है।

अहोम साम्राज्य

- इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में चाओलुंग सुकाफा ने की थी।
- यह असम में शासक शक्ति के रूप में छह शताब्दियों तक कठोर रहा।
- 1826 में यांडाबू की संधि पर हस्ताक्षर के माध्यम से ब्रिटिश भारत में शामिल होने तक अहोम ने इस क्षेत्र पर शासन किया।

Source: PIB

प्रोबा-3 मिशन

सन्दर्भ

- भारत का ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) प्रोबा-3 मिशन के तहत सौर कोरोना का अध्ययन करने के लिए विश्व का पहला समानांतर उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है।

परिचय

- प्रोबा-3 सूर्य के कोरोना (सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत) का अध्ययन करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) का मिशन है।

- यह दो उपग्रहों को एक दूसरे के समानांतर एक संरचना में लंबी अवधि तक अंतरिक्ष में एक कृत्रिम ग्रहण बनाते हुए देखेगा।
- **महत्व:**
 - मिशन की सफलता भविष्य के बहु-उपग्रह मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जिससे अंतरिक्ष मौसम और पृथ्वी पर इसके प्रभाव की समझ बढ़ेगी।
 - मिशन इसरो के साथ-साथ फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड सहित ESA सदस्य देशों के योगदान के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग का उदाहरण देता है।
 - एकत्र किया गया डेटा सौर अनुसंधान को बढ़ाएगा तथा अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं के लिए पूर्वानुमान मॉडल में सुधार करेगा, जो नागरिक और सैन्य उपग्रह संचालन दोनों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रक्षेपण यान

- अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए लॉन्चर या लॉन्च वाहन का उपयोग किया जाता है।
- भारत के पास तीन सक्रिय परिचालन प्रक्षेपण यान हैं:
 - ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV),
 - जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट प्रक्षेपण यान (GSLV),
 - जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट प्रक्षेपण यान एमके-III (एलवीएम3)।
- **PSLV** : PSLV एक बहुमुखी प्रक्षेपण यान है जिसे सभी तीन प्रकार के पेलोड लॉन्च करने के लिए तैनात किया गया है। पृथ्वी अवलोकन, भू-स्थिर और नेविगेशन।
- स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज के साथ GSLV ने 2 टन वर्ग तक के संचार उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम बनाया है।
- LVM3 अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है जो 4 टन वर्ग के संचार उपग्रह और 10 टन वर्ग के पेलोड को LEO के लिए लॉन्च करने में सक्षम है।
- वाहन को पूरी तरह से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के साथ विकसित किया गया था।
- मानव रेटेड LVM3 को गगनयान मिशन के लिए लॉन्च वाहन के रूप में पहचाना गया है, जिसे HRLV नाम दिया गया है।
- मांग आधारित आधार पर छोटे उपग्रह प्रक्षेपण बाजार को पूरा करने के लिए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) को पूर्ण स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के साथ विकसित किया जा रहा है।

Source: IE

सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री/पार्श्व प्रवेश की जांच के लिए हाउस कमेटी

सन्दर्भ

- कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने "सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश" की जांच करने का निर्णय लिया है।

परिचय

- लेटरल एंट्री तब होती है जब निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शिक्षा जगत के अधिकारियों को सरकार में वरिष्ठ और मध्यम प्रबंधन पदों पर नियुक्त किया जाता है।
- यह तंत्र योग्य व्यक्तियों को पारंपरिक सिविल सेवा परीक्षा (CSE) प्रक्रिया को बायपास करने की अनुमति देता है।
- **उद्देश्य:** विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों के कौशल का लाभ उठाकर सरकार की कार्यप्रणाली में दक्षता बढ़ाना और नवीनता लाना।
- आजादी के बाद से सचिव स्तर के पदों पर टेक्नोक्रेट नियुक्त होते रहे हैं।
 - उल्लेखनीय उदाहरणों में पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह, अर्थशास्त्री मोटेक सिंह अहलूवालिया, कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन आदि शामिल हैं।
- अब तक, 60 से अधिक नियुक्तियाँ लेटरल एंट्री के माध्यम से की गई हैं, जिनमें से लगभग आधी निजी क्षेत्र से हैं।

Source: IE

